रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-73 REGISTERED No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 1975/श्रावण 1, 1897
No. 145] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 1975/SRAVANA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 23rd July 1975

SUBJECT.—*Import of twin lens reflex cameras and Photographic instruments by photographic studios/professional photographers during April 1975—March 1976 period.*

No. 72-ITC(PN)/75.—Attention is invited to the import policy as indicated against S. No. 305/IV in Section II of the Import Trade Control Policy (Red Book, Vol. I) for the period April 1975—March 1976.

2. On a review of the position, it has been decided to allow import of twin lens reflex cameras on a restricted basis to meet the replacement requirements of existing bonafide photographic studios and for new studios for self-employment of professional photographers. Applications for import of twin lens reflex cameras will be considered by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, on the recommendation of the State Director of Industries concerned. The applications for import of twin lens reflex cameras should, therefore, be submitted to the State Director of Industries concerned who will forward the application to the office of the Chief Controller of Imports and Exports (M.L. II Branch), Udyog Bhavan, New Delhi, for further consideration. The applications from the existing photographic studios/professional cameramen should specifically indicate the number of cameras possessed by them with type, the age thereof, the need for their replacement, and any other relevant information to justify the requirement for import. The applicants should ensure that applications for import of twin lens reflex cameras under this Public Notice are submitted to the State Director of Industries concerned so as to reach him by the *30th September*, 1975.

3. The existing provisions permitting the import of photographic instruments, apparatus and appliances, and parts thereof on restricted basis in consultation with the DGTD as indicated against S. No. 305/IV in Section II of the aforesaid Red Book will also continue with the modification that there will be ban on import of only box cameras and not on reflex box cameras.

4. The import policy indicated against S No. 305/IV in Section II of the aforesa Red Book may be deemed to have been amended to the extent indicated above.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports and Expoı

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 23 जुलाई 1975

विषय.—अप्रैल, 1975—मार्च, 1976 की अवधि के दौरान फोटोग्राफिक स्टूडियो व्यावसायिक फोटोग्राफरों द्वारा दुहरे लेन्स वाले रिफ्लेक्स कैमरों और फोटोग्राफी के उपस्करा का आयात।

सं० 72-आई० टी० सी० (पी०एन०)/75.—अप्रैल, 1975–मार्च 1976 की अवधि के लिए, आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेडबुक वा०-1) के खण्ड 2 की क्रम संख्या 305/4 के सामने यथा संकेतित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, वर्तमान वास्तविक फोटोग्राफिक स्टूडियो और व्यावसायिक फोटोग्राफरों के स्वयं के रोजगार के लिए नये स्टूडियो के लिए बदलाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबन्धित आधार पर दुहरे लेन्स वाले रिफ्लेक्स कैमरों का आयात करने की स्वीकृति देने का निश्चय किया गया है। दुहरे लेन्स वाले रिफ्लेक्स कमरों के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर विचार मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, नई दिल्ली द्वारा राज्य के सम्बद्ध उद्योग निदेशक की सिफारिश पर किया जायेगा। इसलिए, दुहरे लेन्स वाले रिफ्लेक्स कैमरों के आयात आवेदन पत्र राज्य के सम्बद्ध उद्योग निदेशक को प्रस्तुत किये जाने चाहिएं जो आवेदन पत्र को भविष्य की कार्यवाही के लिए मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (एम० एल० –2) उद्योग भवन, नई दिल्ली को भेजेंगे। वर्तमान फोटोग्राफिक स्टूडियो व्यवसायिक कम मन के आवेदन-पत्रों में उनके द्वारा रखे गए कैमरों की संख्या, टाइप, उनकी अवधि, उनकी बदलाई की जरूरत और आयात के लिए जरुरत को न्यायासगत बनाने के लिए तत्सम्बन्धी अन्य सूचना का विशेष रूप से संकेत होना चाहिए। आवेदकों को चाहिए कि वे इस बात का सुनिश्चय कर ले कि दुहरे लेन्स वाले रिफ्लेक्स कैमरों के आयात के लिए आवेदन पत्र राज्य के सम्बद्ध उद्योग निदेशक को इस सार्वजनिक के अनुसार इस तरह प्रस्तुत किये जाते है कि वे उनके पास 30-9-75 तक पहुंच जाते हैं।

3. उपर्युक्त रेडबुक के खण्ड–2 की क्रम संख्या 305/4 के सामने यथा संकेतित फोटोग्राफी उपस्कर, उपकरण एवं साधित्र तथा उनके पुर्जों के आयात को अनुमेय बनाने वाली वर्तमान व्यवस्थाएं जी०डी०टी०डी० के साथ परामर्श कर प्रतिबंधिता के आधार पर इस संशोधन के साथ भी लागू रहेगी कि केवल बाक्स कैमरा के आयात पर ही प्रतिबन्धित रहेगा और न कि रिफ्लेक्स बाक्स कैमरों के आयात पर।

4. उपर्युक्त रेडबुक के खण्ड 2 की क्रम संख्या 305/4 के सामने की संकेतित आयात नीति का ऊपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित किया गया समझा जाए।

बी० डी० कुमार,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975